राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 585/2025

मोहम्मद असलम सिलावट पुत्र स्वर्गीय श्री आरिफ सिलावट, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी सदर बाजार, हुरड़ा सेजा, भीलवाड़ा (राज.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर (राजस्थान)।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, भीलवाड़ा (राजस्थान)।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री राकेश अरोड़ा,
श्री हार्दिक गौतम।

प्रतिवादीगण के लिए :

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>15/01/2025</u>

1. यहां दिनांक 16.09.2024 (अनुलग्नक 3) के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को केवल आईपीसी की धारा 323 सहपठित धारा 341 के तहत विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के कारण खारिज कर दिया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर कोई दंडादेश अधिरोपित नहीं किया था, बल्कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ प्रदान करते हुए केवल 500/- रुपये का जुर्माना लगाया था।

2. संक्षेप में, याचिका में अभिकथित प्रासंगिक तथ्य निम्नानुसार हैं:-

2.1 याचिकाकर्ता के पिता 13.11.2023 को अपनी मृत्यु तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आसींद, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। अपने पिता के निधन के पश्चात, याचिकाकर्ता ने 21.12.2023 को कनिष्ठ सहायक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। 16.09.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 ने एक कार्यालय आदेश जारी किया जिसमें अनुकंपा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की सूची उनके संबंधित जिला आवंटन के साथ दी गई थी। याचिकाकर्ता का नाम सूची में क्रमांक 11 पर अंकित है और उसे भीलवाड़ा जिला आवंटित किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि 2020 में याचिकाकर्ता के खिलाफ भा.द.सं. की धारा 323 और 341 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, और विचारण के पश्चात उसे दोषी ठहराया गया था, लेकिन उसे 500/- रुपये के जुर्माने के साथ परिवीक्षा पर छोड़ दिया गया था। इस जानकारी का प्रकटीकरण विभाग को प्रस्तुत पुलिस सत्यापन रिपोर्ट में किया गया था। इसके बावजूद, 04.11.2024 को प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 को पत्र लिखकर याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि को ध्यान में रखते हुए उसे नियुक्ति पत्र जारी करने के संबंध में आगे के निर्देश मांगे। हालाँकि, उसकी नियुक्ति के संबंध में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों के आलोक में, याचिकाकर्ता ने न्याय की मांग करते हुए और अपने पिता की मृत्यु के कारण अनुकंपा नियुक्ति का अनुरोध करते हुए 16.12.2024 को एक नोटिस भेजा, लेकिन उसके मामले पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। इसलिए, यह याचिका।

3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित कार्यालय आदेश दिनांक 16.09.2024 (अनुलग्नक 3) के अवलोकन से पता चलता है कि जहां तक याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर कनिष्ठ सहायक के रूप में नियुक्ति का संबंध है, इस बारे में कोई विवाद नहीं है।

4. हालाँकि, याचिकाकर्ता को ज़िला आवंटित होने के बावजूद, उसे संबंधित पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसा स्पष्टतः, उपरोक्त पूर्व में दर्ज आपराधिक कार्यवाही के आधार पर किया गया है।

5. राज्य ने उक्त विचारण न्यायालय के आदेश/निर्णय के विरुद्ध अपील दायर नहीं की। अतः उक्त निर्णय ने अंतिमता प्राप्त कर ली है। मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता को परिवीक्षा पर छोड़ दिए जाने के बाद उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अधिनियमन के मूल कारण और उद्देश्य का लाभ दिया जाना चाहिए।

6. इस संदर्भ में, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहते हुए मेरे द्वारा समान परिस्थितियों में **नासरी बनाम हरियाणा राज्य: सीआरएम-ए-38-एमए-2017** नामक मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसका प्रासंगिक अंश त्वरित संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया जाता है:-

> "इस प्रकार, परिवीक्षा को आपराधिक न्याय प्रणाली में परिकल्पित दंड के एक वैकल्पिक रूप के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। मेरे विचार में, परिवीक्षा पर रिहाई के सिद्धांतों का अनुसरण किया जाना चाहिए या जिन्हें संभावित लाभ कहा जा सकता है, उन्हें नीचे की विद्वान दंडादेश अदालतों द्वारा परिवीक्षा प्रदान करने के न्यायिक विवेक का प्रयोग करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए, बशर्ते कि एक उपयुक्त मामला बनता हो।
>
> क) अपराध की प्रकृति: व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता और प्रकार महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु हैं। कम गंभीर अपराध, जैसे अहिंसक अपराध या आत्मरक्षा से उत्पन्न हिंसक अपराध या पहली बार किए गए अपराध किसी व्यक्ति को परिवीक्षा के लिए अधिक योग्य बना सकते हैं।
>
> ख) व्यक्तिगत न्याय: परिवीक्षा पर रिहाई का लाभ प्रदान करने से पहले अपराधी की व्यक्तिगत परिस्थितियों, अर्थात् अपराध की प्रकृति और सकारात्मक बदलाव की संभावना, को ध्यान में रखना आवश्यक है। इससे अपराधी की विशिष्ट आवश्यकताओं और विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप सजा देने की अनुमति मिलती है, जिससे अपराध के प्रति अधिक न्यायसंगत और आनुपातिक प्रतिक्रिया को बढ़ावा मिलता है।

ग) आपराधिक इतिहास: किसी सिद्धदोष व्यक्ति के पिछले आपराधिक इतिहास का आकलन यह निर्धारित करने के लिए किया जाना चाहिए कि क्या उनके पास दोहराए गए अपराधों का कोई पैटर्न हैं। हिंसक या गंभीर अपराधों का इतिहास होने पर व्यक्ति को परिवीक्षा दिए जाने की संभावना को कम कर सकता है।

घ) पुनर्वास की क्षमता : अपराधी की पुनर्वास की इच्छा और क्षमता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर इस बात के प्रमाण हैं कि व्यक्ति अपने व्यवहार में बदलाव लाने, परामर्श में भाग लेने और अपनी आपराधिक गतिविधि के मूल कारणों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो उन्हें परिवीक्षा पर विचार किया जाना चाहिए।

च) परिवीक्षा शर्तों का अनुपालन: परिवीक्षा पर रहने वाले दोषियों को विशिष्ट शर्तों का पालन करना आवश्यक है, जैसे कि परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित होना, आपराधिक गतिविधियों से बचना, और परामर्श या पुनर्वास कार्यक्रमों में भाग लेना। इन शर्तों का पालन करने की व्यक्ति की इच्छा और क्षमता, परिवीक्षा के लिए उसकी पात्रता को प्रभावित करेगी।

छ) पुनरावृत्ति की रोकथाम: कारावास के विकल्प के रूप में, परिवीक्षा पहली बार अपराध करने वालों को आदतन या "कठोर" अपराधी बनने से रोकने में वास्तव में मदद कर सकती है। पुनर्वास और सहायता सेवाएँ प्रदान करके परिवीक्षा का उद्देश्य आपराधिक व्यवहार में योगदान देने वाले अंतर्निहित कारकों को संबोधित करना है, जिससे अपराधियों को अपने तरीके बदलने का मौका मिलता है।

ज) सामुदायिक संबंध: अपराधी के समुदाय से संबंधों, जैसे परिवार, रोज़गार और स्थिर आवास का आकलन किया जाना चाहिए। मज़बूत सामुदायिक संबंध एक ऐसी सहायता प्रणाली का संकेत दे सकते हैं जो आगे की आपराधिक गतिविधियों को रोकने में मदद कर सकती है।

झ) सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जोखिम: समुदाय की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। यह निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है कि किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर रिहा करने से नए अपराध करने या दूसरों को नुकसान पहुँचाने का जोखिम कम है या नहीं।

ट) भीड़भाड़ कम करना: परिवीक्षा से जेलों और कारागारों में भीड़भाड़ कम करने में मदद मिल सकती है। अहिंसक अपराधी जो परिवीक्षा के पात्र हैं, उन्हें

सामुदायिक निगरानी में रखा जा सकता है, जिससे अधिक गंभीर अपराधियों के लिए सुधार गृहों में जगह खाली हो सकती है।

ठ) उत्पादकता को बढ़ावा देना:- अपराधियों को समुदाय में रहने और काम, शिक्षा या सामुदायिक सेवा जैसी उत्पादक गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति देकर, परिवीक्षा उन्हें समाज के उत्पादक सदस्य बनाने में योगदान दे सकती है। इसके बदले में, वे राज्य पर बोझ बनने के बजाय करदाता के रूप में योगदान दे सकते हैं।

ड) दूसरा मौका और सुधार: परिवीक्षा अपराधियों को कारावास से बचने और सुधार का अवसर प्रदान करके उन्हें दूसरा मौका प्रदान करती है। परामर्श, उपचार और पर्यवेक्षण के माध्यम से, अपराधी अपने आपराधिक व्यवहार के मूल कारणों का पता लगा सकते हैं और सकारात्मक बदलाव की दिशा में काम कर सकते हैं।

ढ) समाज में पुनः एकीकरण: परिवीक्षा अपराधियों को अपने परिवारों, नौकरियों और समुदायों के साथ संबंध बनाए रखने का अवसर देती है, जिससे सजा के बाद उनके सफल पुनः एकीकरण की संभावना बढ़ जाती है। यह अपराध की पुनरावृत्ति की संभावना को कम करता है और आपराधिक व्यवहार के चक्र को तोड़ने में मदद मिलती है।

ण) पीड़ित को मुआवजा: न्यायालय अपराधी को परिवीक्षा पर रिहाई की पूर्व शर्त के रूप में प्रतिशोध या प्रायश्चित के रूप में पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा (दंड के रूप में) देने के लिए भी कह सकता है।

त) परिवीक्षा अधिकारी का मूल्यांकन: न्यायालय द्वारा परिवीक्षा अधिकारी को अपराधी का मूल्यांकन करने के लिए कहा जा सकता है ताकि उसकी पृष्ठभूमि, व्यवहार और पुनर्वास की संभावना के बारे में जानकारी एकत्र की जा सके। इस तरह के मूल्यांकन से परिवीक्षा के संबंध में एक सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

थ) न्यायिक विवेक: अंततः, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, यह अदालत का विवेकाधिकार है कि वह परिवीक्षा प्रदान करे या नहीं। उसे सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करना होगा और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पुनर्वास, जन सुरक्षा और न्याय के हितों को संतुलित करना होगा। परिवीक्षा का लक्ष्य कारावास के विकल्प के रूप में एक ऐसा विकल्प प्रदान करना है जो जन सुरक्षा को बनाए रखते हुए अपराधी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करे।

7. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम को अधिनियमित करने का नेक उद्देश्य अपराधी के अपराध की पुनरावृत्ति को रोकना, उसका पुनर्वास और साथ ही समाज में उसका पुनः एकीकरण है। अतः याचिकाकर्ता को नियुक्ति न देने से इसका मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

8. परिणामस्वरूप, याचिका को प्रतिवादीगण को यह निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता की नियुक्ति केवल इस आधार पर रोकी जा रही है कि उसे विचारण न्यायालय द्वारा परिवीक्षा पर छोड़ दिया गया है, तो इसे बाधा नहीं माना जाएगा। यदि याचिकाकर्ता अन्यथा पात्र और गुणवान पाया जाता है, तो उसे इस आदेश की वेब कॉपी के साथ प्रतिवादीगण के सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने पर पूर्व आवंटित जिले में अपनी सेवाओं में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाएगी।

9. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किए जाते है।

(अरुण मोंगा),जे

40-जितेन्द्र – सुमित /-

रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है या नहीं: हाँ / नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra
Advocate